ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3210/2004/चित्तौड़गढ़ परथू बनाम ग्रामवासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0के0जायसवाल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री एस0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 5 की ओर से।

श्री ईश्वर देवड़ा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 की ओर से।

––

निर्णय

दिनांकः 12–07–18

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील सं0 08/2004 में पारित किए गए आदेश दिनांक 31–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपीलार्थी परथू को ग्राम चरलिया तहसील भदेसर की भूमि खसरा नं0 1 रकबा 111 बीघा 15 बिस्वा चारागाह में से 1 बिस्वा भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (सिंचाई के प्रयोजन के लिए कुँआ खोदने व पम्पसेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के अन्तर्गत दिनांक 22–11–2003 को किया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–05–2004 द्वारा स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के आदेश दिनांक 22–12–2003 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3210/2004/चित्तौड़गढ़ परथू बनाम ग्रामवासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी को ग्राम चरलिया तहसील भदेसर की भूमि खसरा नं0 1 रकबा 111 बीघा 15 बिस्वा चारागाह में से 1 बिस्वा भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (सिंचाई के प्रयोजन के लिए कुँआ खोदने व पम्पसेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (ऐ) के अन्तर्गत दिनांक 22–11–2003 को किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपीलार्थी का आवंटन इस आधार पर खारिज किया कि आवंटन से पूर्व नियम (9) के अनुसार उद्घोषणा जारी नहीं की गई तथा प्रश्नगत भूमि पर भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अपीलार्थी पर न की जाकर उसके पुत्र के खिलाफ की गई थी और उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से चिपती हुई भूमि होने के बावजूद अन्य गांव की भूमि होना बताते हुए उसका आवंटन निरस्त किया गया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावें। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 ने तर्क दिया कि विवादित भूमि चारागाह होने	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3210/2004/चित्तौड़गढ़ परथू बनाम ग्रामवासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के कारण उस पर समस्त गामवासियों के पशु चरते है तथा चारागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। उपखण्ड अधिकारी ने अविधिक रूप से विवादित भूमि का आवंटन किया तथा जिला कलक्टर की उद्घोषणा के बिना आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का आवंटन निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम राजस्व अपील प्राधिकारी के इस निष्कर्ष से सहमत है कि नियम 9 के तहत भूमि के आवंटन हेतु उद्घोषणा जिला कलक्टर द्वारा जारी किया जाना आवश्यक था तथा उक्त नियमों के तहत केवल अतिक्रमी के कब्जे का ही नियमन किया जा सकता था। प्रकरण में संवत् 2059 में भगवाना पिता परथा के नाम अतिक्रमण बाबत् भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है जबकि संवत् 2062 में नियमन उसके पिता परथू के नाम किया गया। आवंटी के विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होना अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः द्वितीय अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते है। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 31–05–2004	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3210/2004/चित्तौड़गढ़ परथू बनाम ग्रामवासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावें व निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें तथा पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर0के0जायसवाल) सदस्य	